भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.02.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 882 का उत्तर

बीड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रेल अंडरपास/आरओबी

882. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के बीड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुमोदित रेल अंडरपासों और सड़क उपरिपुल (आरओबी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अवस्थिति, अनुमोदित लागत, वर्तमान स्थिति और इसके पूरा होने की संभावित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और दुर्घटनाओं में कमी, यातायात की भीड़-भाड़ में राहत और बेहतर संपर्क जैसे इसके लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) बीड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चयनित रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(च) यात्रियों और दिव्यांगों के लिए सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) नए अंबाजोगाई तालुका, घाटनांदूर रेलवे हाल्ट और बार्शी नाका रेलवे स्टेशन के लिए स्वीकृति और अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(ज) धाराशिव-संभाजी नगर रेल मार्ग की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): भारतीय रेल में समपार के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) के कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेल परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव के आधार पर ऐसे कार्यों की प्राथमिकता तय की जाती है और इन्हें शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (दिसम्बर, 2025) की अवधि के दौरान भारतीय रेल में निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:-

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (दिसम्बर, 2025)	13,882 अदद

दिनांक 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,14,298 करोड़ रु. की लागत से 4,769 ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं जिसमें महाराष्ट्र राज्य में 5,599 करोड़ रुपये की लागत से 269 पुल शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

बीड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 06 अदद समपार है। विकाराबाद-परली वैजनाथ खंड पर घाटनंदूर-परली वैजनाथ स्टेशन के बीच 256/7-8 कि.मी. पर निचले सड़क पुल के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कार्य प्रगति पर है और बॉक्स कास्टिंग कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 04 समपार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं

i. सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।
ii. ऊपरी/निचले सड़क पुलों कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।
iii. डिजाइन के अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए स्पैन के विभिन्न संयोजन, तिरछापन और रेलवे के हिस्से पर सड़क की चौड़ाई के लिए अधिसंरचना नक्शों का

मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए रेलवे लाइनों पर त्वरित योजना निर्माण हेतु अपनाया जा सकता है।

iv. रेलवे द्वारा ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों को जहां कहीं संभव हो एकल निकाय के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहती है तो रेलवे उन्हें एकल निकाय के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।

"धाराशिव - बीड़ - छत्रपति संभाजीनगर नई लाइन (240 कि.मी.) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात्, परियोजना की स्वीकृति के लिए विभिन्न हितधारकों सहित राज्य सरकारों से परामर्श और अपेक्षित अनुमोदन अर्थात् नीति आयोग का मूल्यांकन, वित्त मंत्रालय आदि की मंजूरी आवश्यक होती है। चूंकि परियोजनाओं को स्वीकृति देना सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समय-सीमा विभिन्न हितधारकों द्वारा अनुमोदन और मूल्यांकन पर निर्भर करती है।"

ऊपरी/निचले सड़क पुलों सहित रेल परियोजना/ओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, अतिलंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/परियोजनाओं के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

अमृत भारत स्टेशन में स्टेशनों में सुधार लाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल हैं। इस मास्टर योजना में निम्नानुसार शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार,
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण,
- स्टेशन भवन में सुधार,

- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पेयजल बूथों में सुधार,
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर में सुधार/प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान,
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टी मोडाल एकीकरण,
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं,
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध और व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। जिनमें से 132 स्टेशन बीड के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के परली वैजनाथ रेलवे स्टेशन सहित महाराष्ट्र में स्थित हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
महाराष्ट्र	132	अहमदनगर, अजनी (नागपुर), अक्कलकोट रोड़, अकोला, आकुर्डी, अमलनेर, आमगाँव, अमरावती, अंधेरी, बडनेरा, बल्हारशाह, बांद्रा

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
		टर्मिनस, बारामती, बेलापुर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावल, बोरीवली, भायखला, चालीसगाँव, चांदा फोर्ट, चंद्रपुर, चर्नी रोड, छत्रपति संभा जी नगर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, चिंचपोकली, चिंचवाड, दादर (मध्य रेल), दादर (पश्चिम रेल), दहिसर, दौंड, देहु रोड, देवलाली, धामणगांव, धरणगांव, धाराशिव, धर्माबाद, धुले, दिवा, दुधनी, गंगाखेर, गोधानी, गोंदिया, ग्रांट रोड, हडपसर, हातकणंगले, हजूर साहिब नान्देड, हिमायत नगर, हिंगनघाट, हिंगोली दक्कन, इगतपुरी, जलगाँव, जालना, जेऊर, जोगेश्वरी, कल्याण जंक्शन, कामटी, कांदिवली, कंजुर मार्ग, कराड, काटोल, केडगाँव, किनवट, कोपरगाँव, कुर्डुवाडी जंक्शन, कुर्ला जंक्शन, लासलगाँव, लातूर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, लोनंद जंक्शन, लोनावाला, लोअर परेल, मलाड, मलकापुर, मनमाड जं, मानवत रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिराज जंक्शन, मुदखेड़ जंक्शन, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मुर्तिजापुर, नागरसोल, नागपुर जं, नंदगाँव, नांदुरा, नंदुरबार, नरखेड़ जंक्शन, नासिक रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, पाचोरा जंक्शन, पालघर, पंढरपुर, पनवेल जंक्शन, परभणी जंक्शन, परेल, परली वैजनाथ, परतूर, फलटाण, प्रभादेवी, पुलगाँव जंक्शन, पुणे

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
		जंक्शन, पूर्णा जंक्शन, रावेर, रोटेगांव, साईंनगर शिर्डी, सैंडहर्स्ट रोड, सांगली, सतारा, सावदा, सेलू, सेवाग्राम, शहाड, शेगांव, शिवाजी नगर पुणे, श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर, सोलापुर, तलेगांव, ठाकुर्ली, ठाणे, टिटवाला, तुमसर रोड, उमरी, उरुली, वडाला रोड, विद्याविहार, विक्रोली, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाठार

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में अब तक 17 स्टेशनों (आमगांव, बारामती, चांदा फोर्ट, चिंचपोकली, देवलाली, धुले, केडगांव, लासलगांव, लोनंद जंक्शन, माटुंगा, मुर्तिजापुर जंक्शन, नंदुरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, परेल, सावदा, शहाड और वडाला रोड) का कार्य इस योजना के तहत पूरा हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं और उपरोक्त में से कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार है:

- परली वैजनाथ स्टेशन: स्टेशन भवन के सुधार कार्य, परिचलन क्षेत्र का सुधार, ऊपरी पैदल पुल, टैक्टाइल फ्लोरिंग, प्लेटफॉर्म पर कवर की व्यवस्था, लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाने के कार्य किए गए हैं।

- **हिमायतनगर स्टेशन: स्टेशन भवन में सुधार, परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्रवेश द्वार, प्रतीक्षालय हॉल में सुधार, प्लेटफॉर्मों में सुधार, प्लेटफॉर्मों पर कवर का प्रावधान, लिफ्टों और शौचालयों में सुधार और उनके परिष्करण कार्य शुरू किए जा चुके हैं।**

- **मानवत रोड स्टेशन: प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन, प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म की सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय और लिफ्ट के सुधार का कार्य शुरू किया गया है।**

- **परतुर स्टेशन: प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म की सतह, परिचलन क्षेत्र, स्टेशन भवन का विस्तार, प्रतीक्षालय, शौचालय, 12 मीटर चौड़ा ऊपरी पैदल पुल, लिफ्ट और प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।**

- **रोटेगांव स्टेशन: स्टेशन भवन के सुधार कार्य, परिचलन क्षेत्र का सुधार, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्मों पर कवर का प्रावधान, प्रतीक्षालय, शौचालय, लिफ्ट और प्रवेश द्वार तथा उनके परिष्करण कार्य शुरू किए जा चुके हैं।**

- **उमरी स्टेशन: प्लेटफॉर्म 1 और 2 के सुधार कार्य, प्लेटफॉर्म की वॉल की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। परिचलन क्षेत्र के सुधार, लिफ्टों और बाहरी प्रतीक्षालय के परिष्करण कार्य शुरू किए जा चुके हैं।**

भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" या 'एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन' के एक भाग के रूप में, भारतीय रेल अपने रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, "भिन्न रूप से सक्षम दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों की भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों तक पहुंच और स्टेशनों पर इनकी सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश" भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें परिपत्रित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं जैसे प्रवेश रैंप, सुलभ

पार्किंग, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर/सहायता बूथ, शौचालय, पीने के पानी के बूथ, रैंप/लिफ्ट की सुविधा सहित सबवे/उपरि पैदल पुल और दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों हेतु ब्रेल साइनेज सहित मानक साइनेज और स्पर्शनीय पथ आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण निरन्तर और सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार किया जाता है। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/ उन्नयन/आधुनिकीकरण का कार्य स्टेशन की कोटि/स्थिति/स्टेशन में संभाले जाने वाला यातायात आदि के आधार पर किए जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए फायर क्लीयरेंस, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन क्लीयरेंस इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करने (जिनमें जल/मलजल लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस चरण में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

इसके अलावा, अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण आमतौर पर योजना शीर्षक-53 'ग्राहक सुविधाएं' के तहत वित्त पोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के तहत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलों के अनुसार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार या राज्य-वार। महाराष्ट्र राज्य चार रेल जोनों, अर्थात् मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र

में आता है। पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष (दिसंबर, 2025 तक) में 10,606 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

******